संख्या:148/2019/411/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मिर्जापुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 18 फरवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मिर्जापुर की विधान सभा क्षेत्र-मडिहान,चुनार,मिर्जापुर एवं मझवां से संबंधित कार्यो हेतु रू. 1999.42 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 1999.42 (रूपये उन्नीस करोड़ निन्यान्बे लाख बयालीस हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	**कार्य का नाम**	**लम्बाई (किमी)**	**लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	मडिहान	ग्राम सभा महुरी(पिच रोड) से कल्याणीपुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	0.80	29.48	29.48
2	मडिहान	हिनौता (कर्मा) (रामलीला मैदान) से रामपुर बरहो बार्डर तक सम्पर्क मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य	2.00	118.24	118.24
3	मडिहान	करौदा गगेरी मार्ग से श्री मनीराम सिंह के छावनी तक मार्ग का लेपन कार्य	1.50	57.95	57.95
4	मडिहान	लहौरा अमरी मार्ग सूर्यबली यादव के खेत से पहाड़ तक सम्पर्क मार्ग सी0सी0 कार्य	0.35	83.13	83.13
5	मडिहान	सोनपुर(हनुमान मंदिर) से सोनकर बस्ती सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य	0.85	62.97	62.97
6	मडिहान	रेहिया नहर से सिलौड़ी प्रा0वि0 तक लेपन कार्य	0.80	35.51	35.51
7	मडिहान	नदिहार मेला स्थल से कोन भरूहवां सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य	1.20	55.42	55.42
8	मडिहान	गढ़वा प्रा0वि0 से मुसहर बस्ती (डोलिया नाला के रपटा तक) कोन भरूहवां सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य	0.70	27.93	27.93
9	मडिहान	शक्ति नगर राजमार्ग होजीपुर से श्रुतिहार तक मार्ग का लेपन कार्य	0.70	29.29	29.29
		योग वि0स0 क्षेत्र मडिहान	**8.90**	**499.92**	**499.92**
10	चुनार	लोढवा से सिलौटा मंदिर तक मार्ग पर लेपन का कार्य	1.10	51.30	51.30
11	चुनार	लाढ़वा गांव से उत्तर गोगहरा के तरफ मार्ग निर्माण (लेपन कार्य)	0.65	34.75	34.75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
12	चुनार	कटड़ीहा माफी औरैया लिंक मार्ग पर हीरा के घर से पूर्वी तालाब तक (लेपन कार्य)	1.00	52.07	52.07
13	चुनार	जे0के0 मार्ग सरसा मंदिर से गांव तक मार्ग निर्माण (लेपन कार्य)	0.475	23.35	23.35
14	चुनार	पीड़खीर जमालपुर मकरध्वज गुप्ता के घर से झुलन सिंह के घर तक नाली व सी0सी0 रोड	0.325	23.06	23.06
15	चुनार	रघुनाथपुर सम्पर्क मार्ग से प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुर तक लेपन कार्य	1.05	50.33	50.33
16	चुनार	गौरी गांव प्रभात सिंह के घर के आगे नहर तक मार्ग निर्माण (लेपन कार्य)	0.35	22.09	22.09
17	चुनार	लिझरी सम्पर्क मार्ग से मझीयार गांव बड़े लाल के घर तक लेपन कार्य	2.10	93.40	93.40
18	चुनार	गिरजामुख्तार मार्ग कैलहट राम सागर के घर से शिवराजपुर चौमुहानी तक लेपन कार्य	1.40	59.34	59.34
19	चुनार	एन0एच0-7 से रेलवे लाइन पार करते हुए ग्रामसभा प्रतापपुर तक (लेपन कार्य एवं सी0सी0)	1.00	47.43	47.43
20	चुनार	खरकानहर पुल से सर्वोदय इण्टर कालेज अवतार गांव तक (लेपन कार्य)	1.20	42.74	42.74
		योग वि0स0 क्षेत्र चुनार	**10.65**	**499.86**	**499.86**
21	मिर्जापुर	रमईपटटी नई बस्ती पुलिस लाइन के बगल वाली गली विनोद श्रीवास्तव के मकान से प्रेमनाथ श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	0.156	16.31	16.31
22	मिर्जापुर	भरूहना के पास बैंक कालोनी में संतोष श्रीवास्तव के मकान से मधु सोनकर के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड	0.213	35.98	35.98
23	मिर्जापुर	रतनगंज रोड से जेल के पीछे मौर्या बस्ती कुआं तक सी0सी0 रोड निर्माण	0.245	54.60	54.60
24	मिर्जापुर	पाण्डेयपुर मेन रोड के अंदर विजय कुशवाहा के मकान से रविन्द्र उपाध्याय के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	0.105	14.97	14.97
25	मिर्जापुर	ओझला से बाये पुल से पहले गोमती के पीछे की गली निषाद बस्ती खेलावन के मकान से निम्न कार्य कराना है - 1. प्यारे लाला से राजकुमार के मकान तक सी0सी0 रोड 2. घनश्याम के मकान तक सी0सी0 रोड 3. भाई लाल से मोहन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	0.316	15.69	15.69
26	मिर्जापुर	मुहकुचवां से बगरिया तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण	0.235	55.76	55.76
27	मिर्जापुर	प्रमोद श्रीवास्तव के मकान से मेन रोड तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	0.46	33.14	33.14
28	मिर्जापुर	श्याम नारायण शुक्ला गोकुलपुरम कालोनी पक्का पोखरा में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	0.06	6.39	6.39
29	मिर्जापुर	कैलाशपुरी कालोनी केशव पाण्डेय वकील के घर से विमल शंकर वकील के मकान से होते हुए विजय लाला दूबे के घर तक सीवर व सी0सी0 रोड निर्माण	0.19	51.05	51.05
30	मिर्जापुर	लोहिया तालाब चौरा माता के मंदिर से अनूप कुशवाहा के मकान से राजकुमार ठठेरा के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य	0.210	22.03	22.03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
31	मिर्जापुर	आवास विकास कालोनी में विवेकानन्द हास्पिटल से लेकर डा0 खुशबू क्लिनीक रोड तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य	0.16	29.40	29.40
32	मिर्जापुर	राजर्षि नगर कालोनी ब्रम्हचारी का कुआं पुलिस लाइन रोड से श्री प्रकाश दूबे के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य	0.165	38.19	38.19
33	मिर्जापुर	राजर्षि नगर कालोनी ब्रम्हचारी का कुआं पुलिस लाइन रोड से मुन्ना पाण्डेय के घर रोड तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य	0.252	47.12	47.12
34	मिर्जापुर	राजर्षि नगर कालोनी मुन्ना पाण्डेय के घर से धर्मेन्द्र पाण्डेय के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	0.24	55.82	55.82
35	मिर्जापुर	शिवपुर पटटर गुप्ता के मकान से भगत मौर्या के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य	0.105	23.55	23.55
		योग वि0स0 क्षेत्र मिर्जापुर	**3.112**	**500.00**	**500.00**
36	मझवां	प्राथमिक विद्यालय बरकछा खिर्द से हरिजन बस्ती से पक्की सड़क तक सड़क का निर्माण कार्य (इण्टरलाकिंग)	0.90	73.59	73.59
37	मझवां	ग्राम सभा बरैनी के माझी बस्ती से तालाब तक सड़क का निर्माण कार्य (पेन्टिग कार्य)	0.80	30.04	30.04
38	मझवां	मोहनपुर कनौरा रोड से तोसवां स्कूल के पीछे से लोकापुर सम्पर्क मार्ग (पेन्टिग कार्य)	0.85	31.68	31.68
39	मझवां	भिस्कुरी हरिजन बस्ती से मशाल महुआ मौर्या बस्ती सम्पर्क मार्ग (इण्टरलाकिंग)	0.83	78.50	78.50
40	मझवां	कछवां कटका सम्पर्क मार्ग से वैश्वकापुरा होते हुए कनक सराय सम्पर्क तक पिच रोड तक निर्माण कार्य	0.90	34.56	34.56
41	मझवां	एन0एच0-7 पडरी बाजार थाना पडरी के बगल से पडरी टेढा सम्पर्क एवं नाली का निर्माण कार्य	1.70	90.38	90.38
42	मझवां	ग्राम सभा डिगुरपटटी से ग्राम सभा बिहारी तक सड़क निर्माण कार्य (पेटिंग कार्य)	1.925	85.91	85.91
43	मझवां	दाढ़ीराम सम्पर्क मार्ग जिरहुलिया (सुखनई) तक मार्ग (इण्टरलाकिंग)	1.015	62.84	62.84
44	मझवां	ग्राम सभा विजयपुरा में ग्रामसभा रामपुरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (सी0सी0 रोड)	0.148	12.14	12.14
		योग वि0स0 क्षेत्र मझवां	**9.068**	**499.64**	**499.64**
		योग जनपद मिर्जापुर	**31.73**	**1999.42**	**1999.42**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती ह तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग ह॥ अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह॥ अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह॥।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह॥।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:148/2019/411(1)/35-4-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मिर्जापुर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मिर्जापुर।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,मिर्जापुर।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।